न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 140/2022 बउनवानी प्रताप सिंह बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार एव उप पंजीयक खण्डार
पुत्र श्री रामसिंह राठौड ग्राम व पोस्ट खण्डार
GCMS No-2022/229

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
6.12.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 12.9.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार एवं उप पंजीयक खण्डार के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. प्रार्थी के नाम से जारी डीडराईटर लाईसेन्स संख्या 03/2004 को वर्ष 2005–2017 तक नविनीकरण के समय प्रतिवर्ष आपके कार्यालय में प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्रों पर उप पंजीयक खण्डार द्वारा अनुशंषा की गयी है। आपके कार्यालय मे उक्त अवधि में प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्रांक व अनुशंषा पत्रों एवं उपरोक्त वर्णित डीडराईटर लाईसेन्स नविनीकरण से संबंधित समस्त दस्तावेजों की प्र.प्रति। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूंचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार एवं उप पंजीयक खण्डार द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार एवं उप पंजीयक खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार एवं उप पंजीयक खण्डार के जवाब नोटिस कमांक/पंजीयन/2022/190 दिनांक 24.11.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 12.9.2022 मे चाही गयी सूचना के लिए 16/–रू शुल्क जमा करवाने बाबत लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार एवं उप पंजीयक खण्डार द्वारा जरिये पत्रांक पंजीयन/2022/164 दिनांक 16.9..2022 से अपीलान्ट को लिखा गया था किन्तु अपीलान्ट द्वारा शुल्क जमा नही करवाने के कारण सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 12.9.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना के लिए तहसीलदार एवं उप पंजीयक खण्डार के पत्रांक/पंजीयन/2022/164 दिनांक 16.9.2022 से अपीलान्ट को शुल्क जमा करवाने हेतु लिखा गया था किन्तु अपीलान्ट द्वारा शुल्क [illegible] करवाने के कारण अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध नही करवायी [illegible] में अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलान्ट को निर्देशित किया जाता है कि [illegible]छित शुल्क 16/–रू जमा करवाकर उप पंजीयक खण्डार के कार्यालय से सूचना प्राप्त करें। पत्रावली [illegible]शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल [illegible]लेख की जावे। [illegible]खुले न्यायालय मे सुनवाया गया। (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:40:34 IST
Reason: SelfAttested